IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

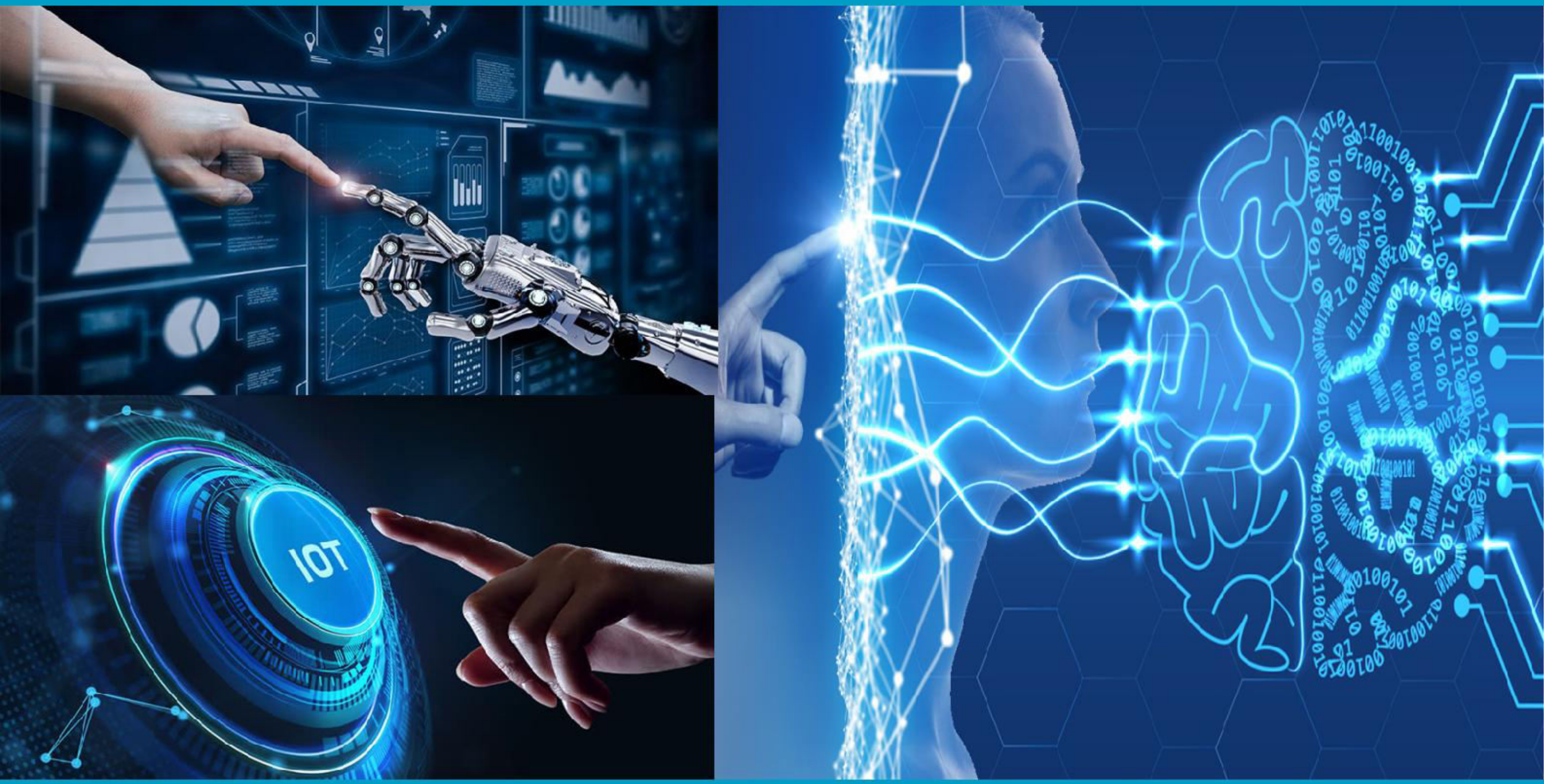

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 10, Issue 6, June 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

+91 99405 72462 +9163819 07438 ijmrsetm@gmail.com www.ijmrsetm.com

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 6, June 2023 |

सह शिक्षा एवं गैर सह शिक्षा विद्यालयों के किशोर विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Jai Prakash Balai

Principal, Siddhi Vinayak T.T. College, Jaipur, Rajasthan, India

सार

शिक्षा मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का महत्वपूर्ण साधन है पर मानव जीवन तब श्रेष्ठ बनेगा जब मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। मनुष्य को वातावरण का ध्यान रखना चाहिये। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में शिक्षा , शिक्षण , विद्यालय के वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि विद्यालय वातावरण सही होगा तो शिक्षक , विद्यार्थी , आस-पडौस के लोग स्वस्थ एवं शिक्षित होगें। फ्राबेल , वाटसन , व्यूमैन आदि वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व विद्यालय वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। विद्यालय वातावरण के अन्तर्गत सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ आती है , जो विद्यार्थीयों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे- विद्यालय भवन , मैदान , शिक्षक , छात्र-छात्राऐं , साफ-सफाई , पुस्तकालय , शौचालय , पानी पीने की सुविधा आदि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालयों के वातावरण को सृजित करने का निर्णय लिया गया मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए हमको ‘‘ स्वच्छ भारत अभियान ‘‘ को अपनायाहोगा। शिक्षा के इतिहास में एक समय था जबकि बच्चे की बुद्धि , रूचि , और विद्यालय केवातावरण , मानसिक स्वास्थ्य आदि स्थितियों की ओर ध्यान नही दिया जाता था अब शिक्षा काकेन्द्र बालक बन गया है। उसके मानसिक व विद्यालय के वातावरण व पाठयक्रम का निर्माण किया गया है।

प्रत्येक अध्यापक को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिये। जिससे विद्यार्थियों को विद्यालय में अनेक प्रकार की सुविधा व वातावरण सम्बन्धी किसी भी प्रकार की परेशानी नही होनी चाहियें अगर विद्यालय का वातावरण दूषित हुआ तो विद्यार्थीयों को अनेक प्रकार की बीमारियाँ व मानसिक सम्बन्धी परेशानियों का सामना करना पड सकता है। ओटावें ने विद्यालय के वातावरण को सामाजिक अधिकार माना है। विद्यार्थीयों के मानसिक विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय सम्बन्धी कारकों का निर्माण- जैसे पाठ्यक्रम पाठय साहगामी क्रियाएँ , शिक्षण विधि आदि कारकों को अध्ययन करेगा। विद्यालय में नया वातावरण उपलब्ध होगा। एक विद्वान का कथन है कि शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है।

शिक्षा से हमें इस संसार में सुख समृद्धि एवं सुयष प्राप्त होता है और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी प्रकार की कठिनाई नही आ सकती तब हमारे पास शिक्षा होगी तो शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रकाश से हमारे संषयों को उन्मूलन एवं कठिनाइयों का निवारण होता है। नीतीशतक ने लिखा है- विद्याहीन मनुष्य पशु के समान है। षिक्षा की हमें मनुष्य बनाती है। शिक्षा से रहित हमारा जीवन व्यर्थ है। विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य एवं अन्य शक्तियों का विकास किया गया है।

परिचय

मानसिक स्वास्थ्य को विभिन्न आयमों का अध्ययन किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य उसके पूर्ण व्यक्तित्व , दृष्टिकोण , रूचियों को प्रभावित करता है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर ही बालक की शैक्षिक आँकाक्षाऐं निर्भर करती है। मानसिक स्वास्थ्य का सरल शब्दों में अर्थ उस स्वास्थ्य से है जिसका संबंध मानव व मन से होता है। शारीरिक स्वास्थ्य जहाँ शरीर के स्वास्थ्य से अपना संबंध रखता है। मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तो विद्यार्थी को किसी भी क्रिया करते समय परेशान नही है। मानसिक स्वास्थ्य भी मानसिक शक्तियों के अर्थ व विकास तथा मन को स्वस्थ व सुखी बनाने के लिये आवश्यक सभी तरह की देखभाल उपायों एवं रूप में व्यवहार करने की बात कहता है। गुड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आधुनिक शताब्दी का लोकहितकारी आन्दोलन है इसको प्रारम्भ करने का श्रेय सी.डब्ल्यू बीयर्स को है। उसने 1908 में अपनी पुस्तक को प्रकाशित करके इस आन्दोलन का सूत्रपात चिकित्सालयों में पागलों की दषा में सुधार करने के लिए किया। धीरे-धीरे इसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं का समावेश हो गया। विद्यालय के वातावरण के प्रकार समूह व्यवहार (शिक्षकों का व्यवहार) उदासीनता , मनोबल , धनिष्ठता अवरोध की भावना , प्रषासनिक व्यवहार (प्रधानाध्यापक

का व्यवहार) विद्यालय का वातावरण विद्यार्थी का तब सही रहेगा तब उसके माता-पिता का व्यवहार , निर्धनता उच्च आदर्श , घर का अनुशासन व परिवार में किसी भी प्रकार का तनाव नही होना चाहिये।[1,2]

प्रधानाध्यापक , शिक्षक , सभी सहायक कर्मचारी तथा विद्यार्थियों के मध्य परस्पर संबंध विद्यालय वातावरण का निर्माण करते है। षिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है और इन सबके विकास में विद्यालय वातावरण तथा मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। छात्रों में मानसिक विकास चरित्रिक विकास , सामाजिक विकास सावेगिक विकास को उत्पन्न करने व विकास होता है। मानसिक स्वास्थ्य जब मानव के व्यवहार में संतुलन रहता है तो उसे मानसिक स्वस्थ्य कहा जाता है। ऐसा संतुलन प्रत्येक अवस्था में बना रहना चाहिये चितो से रहित विद्यार्थी , पूर्णरूप से समायोजित पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रण , आत्मविश्वासी मानसिक रूप से स्वास्थ्य विद्यार्थी होता है।

विद्यालय में अपनाये जाने वाले सभी स्वास्थ्य षिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को बनाते समय , विद्यार्थियों में शारीरिक , मानसिक और भावात्मक और उनकी इन अवस्थाओं में कार्य करने की शक्ति का विचार अवश्य रखना चाहिये।[3,4]
विद्यालय वातावरण की अनिवार्य विशेषताएं:-
1- उपयुक्त स्थान तथा स्वास्थ्य
2- क्षेत्र
3- वायु प्रवेश
4- सुरक्षा और सम्माल
5- दुर्घटनाओं के बचाने के उपाय
6- आवागमन
7- सजावट
विद्यार्थीयों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए स्वच्छ हवा , पानी , बाग-बगीचे पेड-पौधे , पुस्तकाल , भवन , विद्यालय के लिए भूमि , उपकरण , प्रयोगशालाएँ , खेल , मैदान , विभिन्न प्रकार की सुविधा इत्यादि आते है।
विद्यालय परिपेश में मुख्यतः दो परिवेश होते है :-
1. मानवीय संसाधन
2. भौतिक संसाधन
1. मानसिक रूप से पिछडे बालकों की शिक्षा
2. अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये
3. इन बालकों के माता - पिता को शिक्षित होना जरूरी है।
4. बालकों के लिये विशेष स्कूल या विद्यालय होना चाहिये।[5]

विचार-विमर्श

बुनियादी शिक्षा स्कूल स्तर पर शुरू होती है। इस स्तर पर, बच्चे को ज्ञान और भाषा विज्ञान कौशल प्रदान किया जाता है। स्कूली शिक्षा छात्रों को साहित्य, गणित, विज्ञान, राजनीति, इतिहास और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। छोटे बच्चों के जिज्ञासु मन को आकार देने में शिक्षा भी प्रमुख भूमिका निभाती है।[6,7] यह उन्हें अपने व्यक्तित्व और पहचान को विकसित करने की अनुमति देता है। कुछ अन्य आवश्यक कौशल हैं:

उच्च स्कूल शिक्षा छात्रों को एक उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक सामाजिक, मानसिक और शारीरिक कौशल में मदद करती है। उच्च स्कूल शिक्षा छात्रों के लिए अपने साथियों और उद्योग के पेशेवरों से मूल्यवान कौशल सीखने का सही समय है।

यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जो आपको उच्च स्कूल शिक्षा के महत्व को समझने में मदद करेंगे:

- यह उन छात्रों के लिए आवश्यक है जो कॉलेज की डिग्री हासिल करना चाहते हैं और आजीविका अर्जित करना चाहते हैं।
- यह आपके रोजगार की संभावना को बढ़ाता है और भविष्य में उच्च आय अर्जित करता है। [8,9]
- यह छात्रों को वास्तविक जीवन कौशल के साथ आत्मसात करता है जैसे कि-

1. स्वतंत्र सोच कौशल

2. मजबूत निर्णय लेने के कौशल

3. व्यावहारिक शिक्षा और जोखिम

4. समन्वय और सहयोगी कौशल

5. मजबूत सामाजिक और संचार कौशल

नैतिक शिक्षा ईमानदारी, करुणा, सच्चाई, दान, सहिष्णुता और आतिथ्य के मूल्यों पर जोर देती है। यहाँ स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का महत्व है:-

- यह छात्रों को धार्मिकता के नैतिक मार्ग का अनुसरण करने में सहायता करता है।
- यह छात्रों को चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों के दौरान नैतिक निर्णय लेने में मदद करता है।
- यह न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि एक प्रगतिशील राष्ट्र के विकास में भी योगदान देता है।[10,11]

चरित्र शिक्षा छात्रों को मूल नैतिक मूल्यों जैसे सम्मान, नागरिक गुण, न्याय और स्वयं और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी को समझने और समझने में सक्षम बनाती है। आइए स्कूलों में चरित्र शिक्षा के महत्व के बारे में अधिक जानें:

चरित्र शिक्षा नैतिक और जिम्मेदार छात्रों के विकास को उन अच्छे मूल्यों के बारे में सिखाकर बढ़ावा देती है जो लोगों के पास होने चाहिए।चरित्र शिक्षा युवा छात्रों के लिए जीवन के लिए जमीनी नियम प्रदान कर सकती है, जिसमें यह छात्रों को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को दर्शाने वाले व्यवहारों को सीखने और अभ्यास करने में मदद करने के महत्व पर जोर देती है।विद्यालय के एक ही कक्ष में एक ही श्रेणी में बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों, लड़के-लड़कियों का साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करना 'सहशिक्षा' है। पाद्यक्रम, अध्यापक तथा कक्ष को एकता में छात्र-छात्राओं का शिक्षार्थ गमन 'सहशिक्षा' है। सहशिक्षा का शाब्दिक अर्थ है साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करना अर्थात् लड़के-लड़कियों को एक साथ शिक्षा देना।[12,13] सहशिक्षा एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली है और पश्चिमी देशों से भारत में आई है। कुछ लोगों का मत है कि वैदिक काल से ही सहशिक्षा का प्रचलन चला आ रहा है। मध्यकाल में सहशिक्षा कम हो गई थी। परिणामतः महिलावर्ग में शिक्षा का पूर्ण अभाव हो गया। उसके बाद अंग्रेजी शासन में पुनः सहशिक्षा प्रारंभ हुई। आधुनिक युग में जहां लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकने में सक्ष हैं, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वचिंत नहीं रखा जा सकता। विद्यालय के एक ही कक्ष में एक ही श्रेणी में बालक-बालिकाओं, युवक-युवतियों, लड़के-लड़कियों का साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करने को 'सहशिक्षा' कहते है। सह-शिक्षा का अर्थ है एक ही स्कूल या कॉलेज में लड़कों और लड़कियों दोनों की शिक्षा देना। पुरुषों और महिलाओं को एक-दूसरे समझने के लिए ये शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है ।[14,15] सहशिक्षा का मतलब है 'पाद्यक्रम, अध्यापक तथा कक्ष को एकता में छात्र-छात्राओं का शिक्षार्थ गमन करना।' आर्य-समाज के प्रचार ने स्त्री-शिक्षा पर बल दिया तो अंग्रेजी - प्रचार ने सह-शिक्षा को प्रश्रय दिया। ज्यों-ज्यों भारत में पाश्चात्य संस्कारों का विकास होता गया, सहशिक्षा बढ़ती गई। परिणामत: आज का सभ्य-नागरिक प्राचीन रूढिगत विचारों से ग्रस्त होते हुए भी अपने बच्चों को सहशिक्षा दिलाने में कोई आपत्ति नहीं करता, उसे जीवन के विकास में बाधक नहीं मानता। हमारे देश में अनेक रूढ़िवादी लोग हमेशा से सहशिक्षा का विरोध करते चले आ रहे हैं परंतु समय के बदलाव और विज्ञान का योगदान से मनुष्यों को अपनी पुरातनपंथी सोच में बदलाव लाने का महती प्रयास किया है । सहशिक्षा का इतिहास हमारे देश के लिए नया नहीं है । प्राचीन काल के गुरुकुलों व आश्रमों में सहशिक्षा की प्रथा प्रचलित थी । उस समय में स्त्री और पुरुष को समान दृष्टि से देखा जाता था ।[16,17]

सह शिक्षा का महत्व -

सह-शिक्षा व्यक्तित्व, नेतृत्व विकास के साथ-साथ संप्रेक्षण क्षमता में सहायक है। वर्तमान युग में सह-शिक्षा आवश्यक है। सह-शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थी अपने जीवन में अधिक सफल रहते हैं। उनका कहना है कि हम पुरुषों और महिलाओं को हर संभव तरीके से एक साथ काम कर रहे हैं। जहां एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, तो हम बहुत शुरुआत यानी बचपन से एक की धारणा में इस माहौल विकसित करने की जरूरत है। सहशिक्षा से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। सहशिक्षा में लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होगी, इससे बचे हुए पैसे को दूसरे कामों में लगाया जा सकता है जो कि सह शिक्षा के महत्व को दर्शाता है।[18]

सह शिक्षा की विशेषताएं -

विश्व रूपी जीवन में नर-नारी दो एक पात्र हैं। विश्व रूपी रंगमंच पर नर-नारी दो ऐसे पात्र हैं, जिनके बिना जीवन रूपी नाटक का मंचन नहीं हो सकता है। प्रकृति और पुरूष के रूप में उससे सृष्टि विकास का क्रम के अनुसार दोनों आज भी निरंतर जीवन और गृहस्थ की गाड़ी के दोनों पहियों के समान एक-दूसरे के पूरक बन कर एक-दूसरे का साथ निभाते हैं। सहशिक्षा के प्रयोग से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण धीरे-धीरे सामान्य हो जाता है । उनके अनुसार किसी चीज का लगातार उपयोग करने से उसके प्रति उदासीनता आ जाती है । अत: उदासीनता के कारण छात्रगण अपने अध्ययन अथवा भविष्य के प्रति अपनी ऊर्जा को अधिक केंद्रित कर सकते हैं । कुछ लोगों की धारणा है कि सहशिक्षा आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी है । लड़कों तथा लड़कियों के अलग-अलग संस्थानों के बजाय यदि एक ही संस्थान हो तो खर्च काफी कम किया जा सकता है । विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत न हो वहाँ सहशिक्षा बहुत अधिक उपयोगी है । कुछ अन्य लोगों की धारणा है कि छात्र-छात्राओं के एक ही संस्थान में अध्ययन से उनके बीच आपसी समझ बढ़ती है । यह आपसी समझ उनके गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है ।[15]

प्राथमिक शिक्षा में अध्यापिका की भूमिका -
प्राथमिक शिक्षा में अध्यापिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। परिवार से निकलकर विद्यालय के नए बातावरण में प्रवेश करने वाले शिशु के लिए अध्यापिका माता और शिक्षक का कर्तव्य निभाती है। यदि शिशु का विभाजन बालक या बालिका में करके अलग से शिक्षा का आयोजन किया गया तो पुरुषों के अध्यापन में न वह सहृदयता होगी, न उनमें बालक की प्रवृत्ति-परिवर्तन के लिए सिद्धता होगी जो एक अध्यापिका में होती है। सहशिक्षा छात्रों में प्रतिस्पर्धा लाती है। यहाँ छात्र-छात्राओं से और छात्राएँ छात्रों से आगे बढ़ने की प्रयत्न करते हैं। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उनके अध्ययन, चिंतन, मनन को बलवती बनाती है।

सहशिक्षा के पक्ष में बोलने वाले लोगों के अनुसार सह शिक्षा आज की जीवन के लिए आवश्यकता प्रतीत करती है। सहशिक्षा हमारे सामाजिक जीवन की प्रगति के लिए अत्यावश्यक है। सहशिक्षा से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। सहशिक्षा में लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होगी, इससे समाज में लड़के-लड़कियों को एक समान होने का जागरूकता फैलेगा। इससे लोगों के अंदर लड़के-लड़कियों के लिए भेदभाव करने की बुरी आदत छूटेगी और देश में लड़के-लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलेगा। इसीलिए आज के समाज को सहशिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।[17]

सह शिक्षा के फायदे | सहशिक्षा के लाभ -
सहशिक्षा के अनेक लाभ हैं। सहशिक्षा से लड़कियों में नारी-स्वभाव सुलभ लग्जा, झिझक, पर-पुरुष से भय, कोमलता, अबलापन, हीनभावना किसी सीमा तक दूर हो जाती है। दूसरी ओर, युवक नारी के गुणों को अपना लेता है। उसकी निर्लज्जता, अक्खड़पन, अनर्गलता पर अंकुश लग जाता है और उसमें मृदुभाषिता, संयमित संभाषण, शिष्ट आचरण तथा नारी-स्वभाव के गुण विकसित होते हैं। युवक-युवतियों में भावों का यह आदान-प्रदान भावी जीवन में सफलता के कारण बनेंगे। सहशिक्षा से छात्र-छात्राओं में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी और इससे उनका बौद्धिक विकास भी होगा। दोनों वर्ग एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। लड़के लड़कियाँ एक-दूसरे से झिझको, नहीं। इससे लड़कियों में व्यर्थ की लज्जा दूर होगी, जिससे पढ़ाई समाप्त होने पर वे नौकरी में लड़कों से बात करने पर शर्माएगी नहीं और लड़के पी लड़कियों के समक्ष अधिक संयम में रहना सीखेंगे। उन्हें नारी का सम्मान करते की प्रेरणा मिलेगी। जिससे आगे जाकर उनका वैवाहिक जीवन भी सफल होगा।[12]

सहशिक्षा के दुर्गुण | सह शिक्षा के नुकसान -
आज के विषाक्त वातावरण में सहशिक्षा का सहपाठी भाई-बहन की भावना के कम और प्रेमी-प्रेमिका की भावना से अधिक ग्रस्त होता है । सहपाठी का लावण्य उसे आकर्षित करता है, आकर्षण स्पर्श के लिए प्रेरित करता है। स्पर्श आलिंगन-चुम्बन की ओर अग्रसर होता है और अन्तत: छात्र कामवासना का शिकार होता है। न अध्ययन, न जीवन-विकास, उलटा चरित्र-पतन, विनाश की ओर गति। सहशिक्षा में अध्ययन में चित्त अशांत रहता है। युवतियाँ युवकों से दबी-दबी रहती हैं। घुटन के वातावरण में जीती हैं। अध्ययनशील और लज्जालु छात्र-छात्राओं की छाया से भी कतराते हैं । ऐसी स्थिति में मन की एकाग्रचितता कहाँ ? पढ़ाई की मन:स्थिति कहाँ ? प्राध्यापक प्रवचन की ग्राह्यता कहाँ? पाठ्य-क्रम तथा पादय-पुस्तकों में कभी-कभी कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, जो नैतिकता के मापदंडों के विपरीत होते हैं । सहशिक्षा में उन प्रसंगों को स्पष्ट कर पाना बहुत कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में प्राय: शिक्षक उन प्रसंगों की उपेक्षा कर जाता है या अस्पष्ट रहते देता है। इस प्रकार सहशिक्षा ज्ञानवर्धन में बाधक भी है।

आज का भारतीय, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्तर पर जीवनयापन कर रहा हो, पाश्चात्य-संस्कृति को लपकने के लिए लालायित है | भारतीय-संस्कृति में उसे पिछड़ेपनकी कमी आने लगी है। सहशिक्षा से शिक्षा व्यवस्था में खर्च की बहुत बचत होती हैं। अलग-अलग कक्ष, अध्यापक तथा प्रबंध व्यवस्था में जो दुहरा खर्च होता है, वह नहीं होता । इतिहास, भूगोल, गणित, कॉमर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंसी, कॉस्ट एकाउन्टेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, आयुर्विज्ञान, एल-एल.बी. आदि कक्षाओं में युवतियों की संख्या उँगली पर गिनने योग्य होती है। उनके लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था करना शिक्षा को अत्यधिक महँगा बनाना है। कम विद्यार्थियों के लिए पृथक व्यवस्था कर ही नहीं

पाएंगे। दूरदर्शन की कृपा, सरकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रोत्साहन देने तथा पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के भारतीय जीवन को प्रभावित करने के कारण सहशिक्षा की हिचक अब समाप्त हो रही है । युवक-युवती मिलन, घुट-घुट कर बातें करना, हँसी-मजाक करना, एक-दूसरे के घर बिना झिलक आना-जाना, सैर-सपाटे, शिक्षण-संस्थाओं द्वारा आयोजित "टूर" पर जाना सामान्य-सी बात होती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति जहाँ जीवन में चमक-दमक लाएगी, विलास और वासना के मानदंड स्वतः: बदल जाएंगे, तब सहशिक्षा किसी भी स्तर पर भारतीयता के विरुद्ध नहीं मानी जाएगी।[10]

परिणाम

यूपी बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में दसवीं तक की कक्षाओं में सह शिक्षा अगस्त 2009 से लागू कर दी गई है। इसके बाद भी बालक विद्यालयों में बालिकाओं का और बालिका स्कूलों में बालकों का प्रवेश नहीं लिया जा रहा। स्कूल और विभाग की ओर से सह शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा। शासनादेश के मुताबिक हाईस्कूल स्तर तक नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के स्कूलों में सह शिक्षा की व्यवस्था लागू है। इंटरमीडिएट स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ही सह शिक्षा को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अधिकतर स्कूलों में पहले से ही सह शिक्षा का चलन है। नगर क्षेत्र में तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें केवल बालकों या फिर बालिकाओं को शिक्षा दी जा रही है। एमडी जैन इंटर कालेज, क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कालेज, सेंट जोसेफ इंटर कालेज, सेंट जोंस कन्या इंटर कालेज, सेंट विसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आदि स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। इस समय प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, सह शिक्षा का प्रचार किया जाए और प्रवेश दिया जाए तो बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को फायदा हो सकता है।

'प्रधानाचार्यों को शासनादेश का पालन करने और सह शिक्षा की जानकारी देने के निर्देश दिए जाएंगे। यदि किसी विद्यालय की शिकायत मिलती है कि वह छात्र-छात्राओं का प्रवेश नहीं ले रहा तो कार्रवाई की जाएगी।' - अरविंद कुमार पांडेय, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक [12]

यहां प्रवेश को लगी लाइन
श्री रत्नमुनि जैन इंटर कालेज, लोहामंडी और आरबीएस इंटर कालेज खंदारी में सह शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है। दोनों बालक विद्यालय थे, बालिकाओं के प्रवेश के लिए लाइन लग रही है। रत्नमुनि जैन में वर्ष 2011 में बालिकाओं का प्रवेश शुरू किया गया, वर्तमान में करीब 750 छात्राएं कक्षा छह से 12 तक पंजीकृत हैं। वहीं आरबीएस इंटर कालेज में गत सत्र से छात्राओं का प्रवेश शुरू किया गया। करीब 200 छात्राएं पंजीकृत हो चुकी हैं, प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।
सह-शिक्षा का अर्थ है बालक और बालिकाओं का एक साथ एक ही विद्यालय में अध्ययन करना। समाज में स्त्री-पुरुष साथ-साथ रहते हैं, इसलिये बालक और बालिकाओं की सह-शिक्षा के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाना नहीं चाहिये, परन्तु फिर भी कुछ भारतीय विद्वान् इसके पक्ष में हैं और कुछ विरोध में। विदेशी सभ्यता ने उपहार में जहाँ भारतीयों को अन्य वस्तुयें दीं, वहाँ सह-शिक्षा भी दीं। यूरोप में सह-शिक्षा का जन्म स्विट्जरलैण्ड में हुआ, फिर शनै: शनै: इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा फ्रांस में भी सह-शिक्षा बढ़ने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी में भारतवर्ष में भी सह-शिक्षा ने पदार्पण किया।[14,15] भारतवर्ष में तब तो स्त्री शिक्षा का ही विरोध किया जाता था। भारतीयों के सामने यह दूसरी समस्या आई। कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया, परन्तु अधिकांश जनता ने इस नवीन पद्धति को दोषयुक्त बताया, क्योंकि भारतीय इस बात पर विश्वास करते थे कि स्त्री और दलित न पढ़ें। जो लोग स्त्री का पढ़ना ही हानिकारक समझते थे, वे भला सह-शिक्षा का कैसे स्वागत कर सकते थे। मुगलकाल में तो स्त्रियों का घर से बाहर निकलना भी आपत्तिजनक था, इसलिये पर्दे की प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ था। अब धीरे-धीरे स्त्रियों की शिक्षा तो प्रारम्भ हो गई, परन्तु अब प्रश्न यह आया कि लड़कियों की शिक्षा के लिये अलग संस्थायें हों या उनको लड़कों के विद्यालय में ही पढ़ने दिया जाये। पिछली दो शताब्दियों में इस समस्या पर जोरदार विवाद चलता रहा है, फिर भी यह योजना देश में किसी-न-किसी रूप में चल रही है।

सह शिक्षा के पक्ष में तर्क : समर्थकों का कथन है कि प्राचीन भारत में भी सह-शिक्षा थी। ऋषियों के गुरुकुलों में मुनिकुमार और मुनिकन्यायें साथ-साथ पढ़ते थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा पुरुषों के समान ही होती थी। महर्षि बाल्मीकि के आश्रम में आत्रेयी और महर्षि कण्व के आश्रम में शकुन्तला अन्य कुमारों के साथ विद्याध्ययन करती थीं। वेद मन्त्रों की रचना करने वाली स्त्रियों के नाम भी वेदों में मिलते हैं। उपनिषदों में गार्गी का वर्णन आता है, जिसने अपनी विद्वत्ता से महर्षि याज्ञवल्क्य को भी निरुत्तर कर दिया था। अपने पति की पराजय से दु:खी होकर मण्डन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य जी से घण्टों शास्त्रार्थ किया था। स्त्री-शिक्षा और सह-शिक्षा के प्रचलन से देश में स्वस्थ वातावरण था। एवं लोगों के आचरण शुद्ध थे।[16,17]

सह-शिक्षा के समर्थन में दूसरा अकाट्य तर्क यह दिया जाता है कि यदि स्त्रियों की शिक्षा के लिये अलग-अलग कॉलिजों की स्थापना की जाये तो उनमें लड़कियों की संख्या पर्याप्त नहीं हो सकेगी और इतनी योग्य और विदुषी अध्यापिकाओं का मिलना भी असम्भव है क्योंकि अभी तक हमारे देश में स्त्री शिक्षिकाओं की बहुत कमी है। कुछ विषय तो ऐसे हैं, जिनके पढ़ाने के लिए अध्यापिकायें बहुत कम मिलती हैं, जैसे—गणित, साइंस, इन्जीनियरिंग इत्यादि। फिर भी यदि उन संस्थाओं में पुरुष पढ़ायें, तो वह प्रयोजन पूरा नहीं होता, जिस उद्देश्य से वे शिक्षा संस्थायें पृथक् खोली गई हैं। इस प्रकार महिलाओं के लिये पृथक् संस्था खोलने से देश के धन का

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 6, June 2023 |

अपव्यय होगा। भारतवर्ष एक निर्धन देश है। फिर भी नागरिकों को शिक्षित करना शासन का कर्तव्य है। शिक्षा योजना की सफलता के लिये यह उचित ही है कि लड़के-लड़कियों का अध्ययन एक साथ हो।

तीसरा तर्क यह है कि लड़के-लड़कियों के एक साथ रहने से उनके स्वाभाविक गुणों का विकास होता है। उनमें सभ्यता, शिष्टता और शुद्ध आचरण का उदय होता है एवं परस्पर सहृदयता और सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं। वे एक-दूसरे से बहुत परिचित हो जाते हैं। लड़के-लड़कियों को उपस्थिति में उचित व्यवहार करना सीख जाते हैं। लडकियाँ भी लड़कों की उपस्थिति में सौम्य और शान्त रहना सीख जाती हैं तथा उनमें व्यवहार-कुशलता, वीरता और साहस आदि भाव आ जाते हैं सह शिक्षा वाले विद्यालयों के छात्र-छात्रायें अधिक परिष्कृत रुचि के हो जाते हैं। नित्य प्रति एक दूसरे से मिलने के कारण पारस्परिक आकर्षण समाप्त हो जाता है। यदि कोई वस्तु छिपाकर ख जाती है तो उसको देखने वालों का आकर्षण स्वतः ही बढ़ता है और जिस वस्तु के सम्पर्क में हम नित्य आते हैं उसमें न कोई नवीनता होती है और न कोई आकर्षण। इस प्रकार सह-शिक्षा से छात्र-छात्राओं में नैतिक उत्थान ही होगा। जिन स्कूलों व कॉलिजों में सह-शिक्षा नहीं होती, वे छात्र और छात्राएं बड़े संकोची और झेंपू किस्म के होते हैं। लड़कियाँ लड़कों से कतराती हैं। इस प्रकार दोनों का समुचित व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता।[18]

भारतीय संविधान में नारी को पुरुषों के समान ही अधिकार दिये गये हैं, वैसे भी आज का युग समानता का युग है परन्तु यह अधिकार तभी सफल हो सकता है, जब छात्र और छात्रायें शिक्षा काल में साथ उठें बैठें, साथ पढ़े अर्थात एक-दूसरे के सम्पर्क में आयें, तभी भावी जीवन में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर देश-हित में कार्य कर सकती हैं। दूसरे, साथ-साथ पढ़ने से लड़के और लड़कियाँ एक-दूसरे के स्वभाव से परिचित हो जाते हैं। कभी-कभी वे अपना जीवन साथी भी स्वतः हूँढने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार, समाज की दहेज आदि बहुत-सी कुरीतियाँ स्वयं नष्ट हो जाती हैं। ऐसी गुणवती स्वयंवरा कन्यायें माता-पिता पर भार नहीं बनतीं। तीसरी बात यह है कि पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण छात्र तथा छात्रायें एक-दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। छात्र को सदैव यह ध्यान बना रहता है कि कहीं लड़की मुझसे ज्यादा नम्बर न ले आये, इस कारण वह और भी अधिक परिश्रम करता है, इसी प्रकार लड़कियाँ भी अधिक परिश्रम करती हैं। अपने से अधिक सुन्दर सिद्ध करने के लिये दोनों ओर से अनेक सौन्दर्य प्रसाधन काम में लाये जाते हैं, जिससे स्वच्छता की भावना बढ़ती है। यह सह-शिक्षा के समर्थकों का चौथा तर्क है। इसी प्रकार के और भी अनेक लाभ बताये जाते हैं।[16,17,18] सह-शिक्षा के विरोध में विचार प्रकट करने वालों का सबसे पुष्ट तर्क यह है कि लड़के और लड़कियों का भावी जीवन नितान्त भिन्न है, इसीलिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था भिन्न होनी चाहिये। लड़कियों के लिये गृह-विज्ञान, शिशु-पालन तथा आरोग्य शास्त्र, इत्यादि विषयों को पढ़ना आवश्यक है जबकि लड़कों के लिए इन विषयों की कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास, भूगोल, गणित आदि की शिक्षा लड़कियों के लिये जीवनोपयोगी शिक्षा नहीं है। आधुनिक शिक्षा लड़कियों के लिए अधूरी शिक्षा है इससे उनको कोई लाभ नहीं। इस प्रकार सह-शिक्षा का कोई प्रयोजन ही नहीं। वास्तव में, स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। उनकी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिये जो उनके पूरक बनने में सहायक हो सके। सह-शिक्षा में दोनों को एक-सी शिक्षा मिलने से दोनों में एक से गुणं ही विकसित होंगे। इस प्रकार वे एक-दूसरे के पूरक न बनकर एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जायेंगे।[12]

सह शिक्षा के विरोध में तर्क : विरोधियों का कथन है कि सह-शिक्षा नैतिक पतन में सहायक है। जब लड़के हर समय सुन्दर-सुन्दर लड़कियों को देखेंगे तब दर्शन के पश्चात् स्पर्श की इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। स्पर्श के अनन्तर हृदय में आलिंगनादि वासनाजन्य भावनाओं का अवश्य ही आविर्भाव होगा। प्रारम्भ में भाई और बहन के कृत्रिम सम्बन्ध एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में परिवर्तित होते देखे गये हैं। आज भी जहाँ सह-शिक्षा चल रही है। वहाँ प्रेम-विवाह और स्वेच्छाचारिता की घटनायें नित्य सुनने को मिलती हैं। ललनाओं के लावण्य ने अनेक सिद्ध तपस्वियों के आसन हिला दिये हैं। आग और फूस का बैर सृष्टि के आरम्भ से चल रहा है। स्त्रियाँ साक्षात् अग्नि शिखा है। स्पर्श करने वाला जलेगा न तो और क्या होगा। विश्वामित्र जैसे ऋषि मेनका को देखकर जब अपने ऊपर नियन्त्रण न रख सके तब आज का नवयुवक कैसे यह सब कुछ सहन कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि

"दीप-शिखा सम युवति जन, मन जसि होत पतंग"

प्राचीन काल में बालक-बालिकाओं के साथ अध्ययन करने का कहीं भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। प्राचीन ऋषियों ने तो यहाँ तक लिखा है कि ब्रह्मचर्यावस्था में ब्रह्मचारी को स्त्री के दर्शन भी नहीं करने चाहियें। तब यह कैसे सत्य मान लिया जाये कि प्राचीन गुरुकुलों में सह-शिक्षा की व्यवस्था थी। कबीर ने नारी को विष की खान माना है। वे कहते हैं[2,3]

"नारी की छाँई परत, अन्धा होत भुजंग।
कह कबीर तिन हाल क्या, जो नित नारी के संग ।।"

मनुस्मृति में मनु ने स्पष्ट लिखा है कि विवाह से पूर्व किशोर आयु के बालक और बालिकाओं को एकदूसरे से दूर रखना चाहिये और उनकी शिक्षा-दीक्षा भी पृथक् होनी चाहिये। उनका कथन है कि कुमारावस्था की शक्तियों का प्रयोग कठोरता के साथ विद्योपार्जन के लिए ही किया जाना चाहिये, यह मानव जीवन में साधना का समय है। सह-शिक्षा से यह अमूल्य काल प्रेम-लीलाओं में व्यतीत हो जायेगा। नवयुवकों के चरित्र दूषित हो जायेंगे और वे अपने उद्देश्य से विचलित होकर पथ-भ्रष्ट हो जायेंगे।

जहाँ सह-शिक्षा से राष्ट्र के धन की बचत है, वहाँ चारित्रिक पतन से कई गुनी अधिक हानि है। किसी विद्वान् की उक्ति है

“अक्षीणो वित्ततः क्षीण वृत्ततस्तु हतोहतः"

अर्थात्, धन की हानि कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती, परन्तु चरित्र की हानि मनुष्य को समूल नष्ट कर देती है। दूसरे, भारतवर्ष गर्म देश है, यहाँ कैन्यायें युवावस्था शीघ्र प्राप्त कर लेती हैं। ठण्डे देशों में 24, 25 वर्ष तक तो साधारण बचपन ही रहता है परन्तु यहाँ इतनी अवस्था तक युवावस्था आकर लौटने की भी प्रतीक्षा करने लगती है। दूसरी बात यह है कि कुछ प्रसंग श्रृंगार रस के ऐसे आते हैं कि अध्यापक भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा सकते। कक्षा में भी लड़के और लडकियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध रहते हैं। सीट्स भी अलग-अलग रखी जाती हैं। दोनों एक-दूसरे से संभाषण तक नहीं कर सकते। फलस्वरूप दोनों ओर आकर्षण बढता है।[9,10]

निष्कर्ष

इस प्रकार पक्ष और विपक्ष के तर्कों पर विचार करने के पश्चात भारतीय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि ग्यारह वर्ष तक की छात्रायें छात्रों के साथ अध्ययन कर सकती हैं, क्योंकि तब तक उनमें किशोरावस्था की प्रवृत्तियों उत्पन्न नहीं होती हैं। ग्यारह वर्ष के पश्चात सत्रह वर्ष की आयु तक छात्र-छात्राओं की शिक्षा पृथक्-पृथक् शिक्षा संस्थाओं में होनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में ही भावनाओं का आवेग अधिक होता है, ज्ञान की मात्रा कम। अट्ठारह वर्ष से छात्र-छात्राओं की शिक्षा पुनः एक साथ हो सकती है, क्योंकि इस अवस्था तक दोनों में ही अपना हित-अहित विचार करने की क्षमता आ जाती है। सह-शिक्षा और पृथक शिक्षा के बीच का यह मार्ग आधुनिक विद्वानों को मान्य है। इसी मध्य मार्ग का अनुसरण करने से सम्भव है कि हानि कम हो और लाभ अधिक।[18]

संदर्भ

1. बोहरा , सुनीता उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शारीरिक षिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन।
2. एस.के. प्रारम्भिक स्तर पर शारिरिक एवं स्वास्थ्य आर्य बुक डिपो 30 करोल बाग प्रथम संस्करण 1999 ।
3. रंगनाथन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा बिना पुस्तक मन्दिर आगरा- 2 (2007) ।
4. कल्पलता ‘ षिक्षा मनोविज्ञान ‘ (भारतीय एवं पाष्चात्य दृष्टि) टाटा एम.सी. ग्राहिल पब्लिशिंग कम्पनी लि. नई दिल्ली।
5. योगराज शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा पे्ररणा प्रकाशन रोहिणी दिल्ली (2006) ।
6. अस्थाना मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन सेंट जोंस कॉलेज , आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर (2013) ।
7. तलवार तथा कुमार (2010) प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थीयों के विद्यालय वातावरण तथा शैक्षिक आकांक्षा के सन्दर्भ में अध्ययन।
8. डॉ. अल्का मित्तल(2010) उच्च माध्यमिक स्तर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य तथा शैक्षिक आकांक्षा के मध्य संबंध का अध्ययन।
9. सतीष कुमार(2011) माध्यमिक स्तर के कक्षा मे हाजिर तथा गैर हाजिर रहने वाले विद्यार्थीयों के मानसिक स्वास्थ्य तथा विद्यालय संतुष्टि के संदर्भ में अध्ययन।
10. मिनी कुमसि (2012) उच्च माध्यमिक स्तर के सुनामी पीडित द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्तर के संदर्भ में अध्ययन।
11. मेण्डल सूक्ष्म शिक्षण का मूल्यांकन और अन्य दी के नव प्रवर्तन में शैक्षिक नवाचार पी. एच.डी. एज्यूकेशन देहली यूनिवर्सिटी (1980)
12. खान खुशनुमार बेगम (2002) ए स्टडी ऑफ इनोवेटिव प्रोनेन्स एण्ड इट्स का ॅरलेट्स इन दी सैकण्डरी स्कूल्स पी.एच.डी. एज्यूकेशन महाराजा सायाजीराव यूनि. ऑफ बडोदा।
13. गोस्वामी एन. एस (1983) गुजरात राज्य के माध्यमिक स्कूलों में स्वास्थ्य जागृति के कार्यि का अध्ययन 1983 ।
14. खीरा वाला जी. जेे. (1995) विद्यालयों के प्रकार तथा कक्षा- कक्ष वातावरण के प्रति स्वस्थ रहना चाहिये और अभिवृति का अध्ययन।
15. मुलिस्तान के रावाला (1965) विद्यालय वातावरण एवं विद्यालय के प्रकार के संबंध में विद्यार्थीयों की अभिवृति का अध्ययन।
16. कुमार रणजीत (2008) छात्र व छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं सांवेगिक परिपक्वता का अध्ययन। ओ.पी.जे. एस विष्व विद्यालय चुरू।
17. डॉ. श्रीमती प्रेम छावडा , श्रीमती ममता गुप्ता नवाचार युक्त मूल्याकंन एम.एड.पी. एच.डी.शिक्षा महाविद्यालय , उज्जैन 1999 ।
18. अविनाश सिंह (2002) किशोर विद्यार्थीयों की अध्ययन आदतोंव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक आर्थिक स्तर के संदर्भ में अध्ययन।

INNO SPACE

SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor:
7.580

doi crossref

निस्केयर
NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com